कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1. **मेक्रोमैनेजमेंट—कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन**— योजनान्तर्गत कृषकों को हस्त/बैल/शक्ति कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है ।
2. **आइसोपाम/तिलहन/मक्का विकास**— यह कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षेत्र वृद्धि करना । इस कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी जानकारियां कृषकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न घटकों में 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है ।
3. **मिनिमिशन—2 कपास विकास कार्यक्रम**— इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में कपास विकास कार्यक्रम फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षेत्र वृद्धि करना । इस कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकि जानकारियां कृषकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न घटकों में 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान हैं ।
4. **नलकूप खनन योजना**— सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से फसल के उत्पादन में वृद्धि की जाती है 75 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार नलकूप खनन के तथा 75 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार नलकूप खनन के तथा 75 प्रतिशत अधिकतम 9 हजार सबमर्सिबल पम्प पर इस प्रकार कुल 24 हजार अनुदान की पात्रता हैं ।
5. **सिंचाई तालाब योजना**— कृषकों के खेतों में नहर द्वारा सिंचाई करना। राज्य शासन की ओर से शत प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
6. **खेत तालाब योजना** :— इस योजनान्तर्गत कृषक स्वयं अपने व्यय पर या बैंक द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान लेकर तालाबों का निर्माण सिंचाई बढ़ाने हेतु करवा रहे हैं ।
7. **राष्ट्रीय बायो गैस योजना**— यह योजना केन्द्र की है । इसमें कृषकों को 3580 /— लघु सीमांत हरिजन, आदिवासी को अनुदान है जबकि सामान्य कृषकों को 2800/— अनुदान का प्रावधान हैं ।
8. **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**— इस योजनान्तर्गत बैंक द्वारा ऋणी कृषकों का फसल ऋण पर अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक द्वारा किया जाता है । अऋणी कृषकों का बीमा चालू प्रीमियम दर पर अधिसूचित फसलों का बीमा करवाया जाता है ।
9. **एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)** — यह केन्द्र परिवर्तित योजना है । इसमें 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान कृषकों को है ।
10. **बलराम तालाब योजना** — इस योजना अंतर्गत लघु सीमान्त, आदिवासी हरिजन को प्रावधान अनुसार 16000/— राशि मे

बलराम तालाब योजनानतर्गत 50: या 80000/— का अनुदान प्रस्तावित है तथा बड़े कृषकों को 20000/— राशि तालाब

में 40ः या 3000/— की छूट का प्रावधान है ।

11. **गन्ना विकास (मेक्रोमेनेजमेंट)** — यह केन्द्र परिवर्तित योजना है । इसमें 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान कृषकों को है ।

12. **एकीकृत जीवनाशी प्रबंधन** —यह केन्द्र परिवर्तित योजना है । इसमें 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान कृषकों को है ।

13. **आई0एन0एम0 योजना**— यह केन्द्र परिवर्तित योजना है । इसमें 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान कृषकों को है ।

14. **अन्नपूर्णा/सूरजधारा योजना**— यह केन्द्र परिवर्तित योजना है । इस योजनान्तर्गत लघु सीमांत हरिजन, आदिवासी, कृषकों

15. को 75 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराया जाता हैं ।

16. **बीज ग्राम योजना** — यह योजना समस्त वर्ग के कृषकों को बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रति एकड़ आधा एकड़ हेतू 50 प्रतिशत अनुदान पर आधार बीज उपलब्ध कराया जाता है साथ ही अनाज कोठी पर भी हरिजन, आदिवासी कृषकों को 33 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान दी जाती हैं ।

17. **बैलगाड़ी पर अनुदान** — रहे जाने तक के सभी श्रेणी के कृषकों को क्रम हेतु किमत 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 5 हजार रूपये प्रति बैलगाड़ी जो भी कम हो देय होगा ।

18. कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) का क्रियान्वयन कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं, तकनीकों के प्रचार प्रसार हेतु किया जा रहा है । इसके तहत कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण, फसल प्रदर्शन, समूह गठन जैसी कृषक गतिविधियां 90ः शासकीय व्यय पर संचालित होती है ।

19. जिले में दलहन उत्पादन वृद्धि हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन 01.10.07 से आरंभ है । इस मिशन के तहत आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण, जिप्सम एवं माइक्रो न्यूट्रिएन्ट, आई.पी.एम. स्प्रिंकलर घटाकों का 50ः अनुदान पर सामग्री कृषकों को देय होगी ।

20. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी जिले में वर्ष 2007—08 से आरंभ है । इसमें भू—जल संवर्धन/संरक्षण, नाडेप एवं जैविक खेती प्रोत्साहन तथा जो योजनायें आम कृषक हित में आवश्यक है, क्रियान्वित की जा रही है ।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना की भौतिक प्रगति

खरीफ कार्यक्रम की प्रगति वर्ष 2007–08 लक्ष्य 08–09 एवं वर्तमान पूर्ति

क0	कार्यक्रम	इकाई	पूर्ति 07–08	लक्ष्य 08–09	पूर्ति 08–09
1	क्षेत्राच्छादन	000हेक्ट0 में	439.4	446.1	380.9
2	बीज वितरण	क्विंटल	25188	27352	27590
3	उर्वरक वितरण तत्व में	टन	15955	24164	8027
4	कल्चर वितरण	पैकेट	103700	164650	102970
5	बीजोपचार दवा वितरण	क्विंटल	111.20	563	315.5
6	अंतवर्ती खेती कार्यक्रम	000हेक्ट0 में	115.7	118	109
7	बीज मिनिकिट	संख्या	7809	6425	6150
8	संकर धान	हेक्टर	200	220	40
9	धान एसआरआई	हेक्टर	275	300	20
10	सोयाबीन रेज्ड बेड प्लाटिंग	हेक्टर	10500	10800	10200
11	हाईब्रिड धान कार्यक्रम	हेक्टर	0	220	40
12	फसल प्रदर्शन प्रत्येक गांव में एक	संख्या	0	1950	1045
13	संकर मक्का बोनी कार्यक्रम	हेक्टर	65000	66500	65285
14	संकर ज्वार बोनी कार्यक्रम	हेक्टर	31200	32000	24000
15	बीज ग्राम योजना	क्विंटल	498.20	498.2	0
16	सोयाबीन बीज	क्विंटल	ग्राम संख्या 49 लाभान्वित कृषक 3321. 50 प्रतिशत	लक्ष्य अप्राप्त	0
17	फसल बीमा	संख्या	31341	लक्ष्य अप्राप्त	205

खरीफ कार्यक्रम की प्रगति वर्ष 2007–08 लक्ष्य 08–09 एवं वर्तमान पूर्ति

क0	कार्यक्रम	इकाई	पूर्ति 07–08	लक्ष्य 08–09	पूर्ति 08–09
1	कृषि यंत्र हस्त/बैल चलित	संख्या	4561	1750	2464
2	कृषि यंत्र शक्ति चलित	संख्या	106	23	36
3	पौध संरक्षण यंत्र वितरण	संख्या	3839	395	1206
4	ट्रेक्टर वितरण/पावर ट्रिलर	संख्या	17	30	3
5	नलकूप खनन	संख्या	43	42	15
6	स्प्रिंकलर वितरण	संख्या	182	35	0
7	ड्रिप यूनिट की स्थापना	संख्या	11	31	0
8	पाईप लाईन	संख्या	118	-	0
9	बायोगैस	संख्या	508	600	114
10	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	संख्या	506	-	0
11	नाडेप टांका निमार्ण	संख्या	8199	5160	0
12	मिटटी परिक्षण प्रमुख तत्व	संख्या	7074	7000	398
13	सूक्ष्म पोषक तत्व	संख्या	220	250	138
14	खेत तालाब	संख्या	295	400	30
15	बलराम तालाब	संख्या	12	-	28

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
छिन्दवाड़ा

Last Updated:17/7/2008
Source:Deputy Director Agriculture**Director**